न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 41/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. तारादेवी पुत्री भगनाथ पत्नी पोकरनाथ जाति नाथ निवासी बड़ी		1. जोगनाथ
2. शांतिदेवी पुत्री भगनाथ पत्नी प्रेमनाथ जाति नाथ निवासी गुडा रघुनाथसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन		2 भैरनाथ पि0 सन्तोषनाथ 3 आशदेवी पुत्री सन्तोषनाथ 4 लक्ष्मीदेवी पुत्री सन्तोषनाथ नाबालिग रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के वली माता मदीया देवी पत्नी सन्तोषनाथ 5 मदीयादेवी पत्नी सन्तोषनाथ जाति नाथ निवासी खारची 6 तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री दिनेश कुमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.09.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम खारची तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 176 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 27.01.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खारची के खसरा नम्बर 371, 772, 757 की भूमि अपीलाण्ट के पिता भगनाथ पुत्र वगतनाथ जाति नाथ निवासी खारची की खातेदारी भूमि थी। अपीलाण्अ के पिता भगनाथ की बिना वसीयत किए मृत्यु हो गई। भगनाथ के एक पुत्र सन्तोषनाथ एवं दो पुत्रियां तारादेवी व शांतिदेवी थी। भगनाथ फौत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किए जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील वादस्थ भूमि में भगनाथ की पुत्रियां होने के नाते अपीलाण्ट का हक हिस्सा जन्म से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जैर अपील नामान्तरकरण दायर किा है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जेर अपील

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण विधि सम्मत दायर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दायर किया है तथा हस्तगत अपील वर्ष 2017 में दायर की गई है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में 31 वर्ष का असाधारण विलम्ब हुआ है, जो देरी कण्डोन योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज़ योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को भगनाथ की पुत्रियां होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत भगनाथ की प्रथम श्रेणी की वारिशान होने के कारण उक्त भूमि में स्वयं के हिस्से का अनुतोष चाहा है। जैर अपील नामान्तरकरण भगनाथ फौत होने पर सन्तोषनाथ के नाम दायर किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट को भगनाथ की पुत्रियां होने से Specific deny नहीं किया है। इस स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट मृतक भगनाथ की पुत्रियां होने के नाते उसकी प्रथम श्रेणी की वारिशान है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये भगनाथ के फौत होने पर एकमात्र सन्तोषनाथ का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है तथा इस प्रकार दायर नामान्तरकरण पर पारित स्वीकृति आदेश को कायम रखा जाना भी विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम खारची तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 176 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 27.01.1983 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भगनाथ के विधिक वारिशान के सम्बन्ध में समुचित जांच कर, पक्षकारान्

अति. जिला कलेक्टर, पाली

को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली